

44/270/04

75

का प्रस्ताव
27/6/17

27/6/17

प्रस्ताविका कार्यवाही के लिए/कार्य
स्थितिगत रखे जाने से पत्रावली गत
आज्ञानुसार दिनांक 27/7/17
को पेश हो।

27/7/17

प्रस्ताविका कार्यवाही के लिए/कार्य
स्थितिगत रखे जाने से पत्रावली गत
दिनांक 04/9/17
को पेश हो।

04/9/17

प्रस्ताविका कार्यवाही के लिए/कार्य
स्थितिगत रखे जाने से पत्रावली गत
दिनांक 16/11/17
को पेश हो।

16/11/17

व.क. उपरोक्त कक्ष हेतु समय-पाहने के पत्रावली
वास्तविक दिनांक 01/12/17 को पेश हो।

01/12/17

व.क. उपरोक्त कक्ष हेतु समय-पाहने के पत्रावली
वास्तविक दिनांक 26/12/17 को पेश हो।

26/12/17

वकिला द्वारा आज कण्डोलेस/कार्य
स्थितिगत रखे जाने से पत्रावली गत
आज्ञानुसार दिनांक 08/2/18
को पेश हो।

08/2/18

वकिला द्वारा आज कण्डोलेस/कार्य
स्थितिगत रखे जाने से पत्रावली गत
आज्ञानुसार दिनांक 15/3/18
को पेश हो।

15/3/18

व.क. उपरोक्त कक्ष हेतु समय-पाहने के पत्रावली
वास्तविक दिनांक 03/5/18 को पेश हो।

3/5/18

वकिला द्वारा आज कण्डोलेस/कार्य
स्थितिगत रखे जाने से पत्रावली गत
आज्ञानुसार दिनांक 25/6/18
को पेश हो।

25/6/18

आज यह पत्रावली न्याय आपके कार
कम्प कोर्टी ग्राम नंगल के मु में पेश
हुई। प्रायः सत्यनाशयण उपरोक्त प्रायः



राज्य अज्ञान मंत्रालय
25/6/18

फर्द अहकाम

काष्ठ बनाम नार्थी का

प्राप्त

संख्या ५५/२७०/०५

प.न.

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>को सुना गया तथा पत्रावली का आवेदन किया गया। पत्रावली वर्ष २०१५ से वर्ष २०१६ तक सम्बन्धित है। आरटी के मुताबिक दुकानें इलाहाबाद, चोषवा बस्साई निषेधाज्ञा का ही प्रमाण सं. दिनांक ०९/१२/०५ को अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा जारी की गई है। उक्त अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा को अन्तर्गत के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा दिनांक ०९/१२/०५ को ही फसल का अन्तर्गत अन्तर्गत फसल शुद्ध लेना फसल से कम है तथा अन्तर्गत के साथ ही।</p>	